संख्या-228/2015-2120/नौ-5-15-104बजट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 09 जुलाई, 2015

विषयः: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की पुनर्गठन पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 91/नागर-2 /033-0304/15, दिनांक 27.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की पुनर्गठन पेयजल योजना की निर्धारित लागत रू0 852.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 446.00 लाख की धनराशि निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मंद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-192-नगर पालिका परिषदो को सहायता - 04-उ0प्र0 व्यापार विकस निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-ई-8-1901/दस-2015, दिनांक 03 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-228/2015-2120/नौ-5-15-104बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/बुलन्दशहर ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड जल निगम, ग्रेटर नोएडा ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

shashanadesh.up.nic.in/intra

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-09/07/2015

प्रेषण संख्या:- 228-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-228-2015-2120-9-5-15-104B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	44600000 180210000	44600000 180210000
	योग	वर्तमान प्रगामी	44600000 180210000	44600000 180210000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ छियालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ दो लाख दस हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी